रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072026-274990
CG-DL-E-30072026-274990

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 619]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 30, 2026/श्रावण 8, 1948
No. 619]	NEW DELHI, THURSDAY, JULY 30, 2026/SHRAVAN 8, 1948

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 681(अ).— केद्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल, साधारण ड्यूटी काडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, साधारण ड्यूटी काडर (अराजपत्रित) भर्ती (संशोधन) नियम, 2026 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. सीमा सुरक्षा बल, साधारण ड्यूटी काडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2015 में, अनुसूची में, क्रम संख्यांक 5 के सामने, कांस्टेबल के पद से संबंधित:-

(क) स्तंभ (7) में, मद (iv) के लिए और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएंगी, अर्थात्: -

"(iv) भूतपूर्व-अग्निवीरों को लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण से छूट होगी।";

(ख) स्तंभ 10 के अधीन प्रविष्टियों में, -

(i) टिप्पण-1 में, "भूतपूर्व-अग्निवीरों के लिए" शब्दों के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"या गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार";

(ii) टिप्पण-2 में, "प्रथम चरण में" शब्दों के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"या गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार";

(iii) टिप्पण-3 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

"टिप्पण: 4 आरक्षण के उपबंध भूतपूर्व-अग्निवीरों की दशा में भी लागू होंगे।" ।

[फा. सं. सी-17/02/2025/कार्मिक-गोपनीय/बीएसएफ]

म. मृणाल, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंण्ड 3, उपखंण्ड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 830 (अ), तारीख 03 नवम्बर, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1208 (अ), तारीख 29 सितम्बर, 2017, सा.का.नि. 174 (अ), तारीख 09 मार्च, 2023, सा.का.नि. 387 (अ), तारीख 17 जून, 2025 और सा.का.नि. 906 (अ), तारीख 18 दिसम्बर, 2025 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2026

G.S.R. 681(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (2) of section 141 of the Border Security Force Act,1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Border Security Force, General Duty Cadre (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2015, namely:-

1. (1) These rules may be called the Border Security Force, General Duty Cadre (Non-Gazetted) Recruitment (Amendment) Rules, 2026.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Border Security Force, General Duty Cadre (Non-Gazetted), Recruitment Rules, 2015, in the Schedule, against serial number 5, relating to the post Constable,-

   (a) in column (7), for item (iv) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

"(iv) ex-Agniveers shall be exempted from written examination, physical standard test and physical efficiency test.";

(b) in the entries under column 10,-

(i) in Note-1, after the words "for ex-Agniveers", the following words shall be inserted, namely :-

"or as per the instructions issued by the Ministry of Home Affairs from time to time";

(ii) in Note-2, after the words "in the first stage", the following words shall be inserted, namely:-

"or as per the instructions issued by the Ministry of Home Affairs from time to time";

(iii) After Note-3, the following Note shall be inserted, namely: -

"Note : 4 The provisions of reservation shall also apply in the case of ex-Agniveers."

[F. No. C-17/02/2025/Pers-Confd/BSF]

M. MRINAL, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 830 (E), dated the 3rd November 2015 and subsequently amended *vide* notification numbers G.S.R. 1208 (E), dated the 29th September, 2017, G.S.R. 174 (E), dated the 9th March, 2023, G.S.R. 387 (E), dated the 17th June, 2025 and G.S.R. number 906 (E) dated 18th December, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA